

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किए एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उ दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। उ निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
गाम का नाम	खेती संख्या	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खालेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
श्री डीवाण	74	आबूराम फुड	136	0.25	आबूराम फुड	136	0.25
		आबूराम जाह	141	0.07	आबूराम, जाह	141	0.07
		जाह	142	0.52	जाह	142	0.52

आंक :-

416
21.8.21

अतिरिक्त पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

आंक :-

अतिरिक्त पालनार्थ :-

- पटवार इत्यादि को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थान नहीं है। श्री विनयानुसार पालना सुनिश्चित है।

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.वाणा)
दिनांक :-

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलेक्टर, डी.डी.वाणा)
दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर